संख्याः 124/XXIV-3/16/02(186)2015

प्रेषक,

एस0राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 19 जनवरी, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः अर्थ–1/28967/5क/01(15)/2015–16, दिनांकः 14 जनवरी, 2016 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्याः 30/XXIV-नवसृजित/16–02(21)2015 दिनांकः 14 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की की स्थापना के अन्तर्गत कुल प्राविधानित रूपये 130000 हज़ार की धनराशि संगत मानक मदों में कम अथवा अधिक प्राविधानित होने के कारण उक्तानुसार प्राविधानित रूपये 130000 हज़ार की धनराशि में से संलग्न **परिशिष्ट–'अ'** की तालिका के स्तम्भ–2 की सुसंगत मानक मदों में स्तम्भ–4 के अनुसार **रूपये 21700 हज़ार** की धनराशि एवं तालिका के स्तम्भ–5 के अनुसार संलग्नक **बी0एम0–09 (भाग एक)** में इंगित लेखाशीर्षक की मानक मदों में उल्लिखित विवरणानुसार **रूपये 64980 हजार** की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए **कुल रूपये 21700+64980=86680 हजार (रूपये आठ करोड़ छियासठ लाख अस्सी हज़ार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय। धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किश्तों में ही आहरित/व्यय की जायेगी। धनराशि की पार्किंग नहीं की जायेगी।
4. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
5. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
6. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त की ली जाय।
7. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बैगर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः–2

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय निसम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अनय सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. कुल स्वीकृत की जा रही धनराशि में से आवंटन के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बचती है तब उसे नियमानुसार शासन को समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

10. स्वच्छक सेवाएं एवं कम्प्यूटर संदर्भदाता की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जायेगी।

2. शासनादेश संख्याः 30/XXIV-नवसृजित/16–02(21)2015 दिनांकः 14 जनवरी, 2016 में प्रदत्त समस्त शर्तों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अनुपालन में धनराशि साफ्टवेयर के माध्यम आनलाइन अवावंटित कर दी गयी है। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(1)/2015, दिनांकः 1 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्याः 1336/XXVII(1)/2015, दिनांकः 17 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 1349/XXVII(1)/2015, दिनांकः 26 नवम्बर, 2015में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नकों (बी0एम0–09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 328(P)/XXVII(3)2015–16 दिनांकः 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(एस0राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 124/XXIV-3/16/02(186)2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9– वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
10– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–'अ'

शासनादेश संख्याः 124 /XXIV-3/16/02(186)2015 दिनांकः 19 जनवरी, 2016 का संलग्नक

अनुदान संख्याः–11 (आयोजनागत)

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि	मदवार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
आयोजनागत 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 17–विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक)	04–यात्रा भत्ता	100	100	–	100
	05–स्थानान्तरण यात्रा	100	100	–	100
	08–कार्यालय व्यय	100	100	–	100
	09–विद्युत व्यय	1000	1000	–	1000
	10–जलकर/जल प्रभार	100	100	–	100
	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	200	–	200
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	650	650	–	650
	13–टेलीफोन पर व्यय	100	100	–	100
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	5000	4750	–	4750
	25–लघु निर्माण कार्य	5000	5000	––	5000
	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200	200	––	200
	29–अनुरक्षण	4000	4000	15000	19000
	42–अन्य व्यय	5000	5000	12180	17180
	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	200	200	37800	38000
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	200	200	–	200
	योग–	21950	21700	64980	86680

स्वीकृत धनराशि रूपये 64980 हज़ार (पुनर्विनियोग द्वारा)
रूपये 21700 हज़ार

कुल स्वीकृत धनराशि रूपये 86680 हज़ार मात्र

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।